रेल दावा अधिकरण
पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/223/2023

पीठासीनः श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, पटना
श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, पटना

संस्थन की तिथिः 23.05.2023
निर्णय की तिथिः 06.10.2025

प्रियंका देवी W/o स्व0 कारू महतो उर्फ कारू राउत एवं अन्य
निवासी ग्राम– मधेपुर,
पोस्ट– बेलाव, थाना– बेलाव,
जिला– शेखपुरा,
बिहार, पिन कोड– 811101 .... याचीगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली ....उत्तरदाता

उपस्थितिः
वादी के विद्वान अधिवक्ता– श्री सत्येन्द्र कुमार भारती– उपस्थित।
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता– श्री राधिका रमण– उपस्थित।

निर्णय

श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक) :

1. याचीगण प्रियंका देवी व अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत कारू महतो उर्फ कारू राउत की रेल घटना में मृत्यु हो जाने के

परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतक कारू राउत उर्फ राउत महतो दिनांक 09.08. 2019 को आलमनगर से बख्तियारपुर जं0 का जनरल टिकट नं0 UAD-02667754 लेकर ट्रेन नं0 13050 डा0 पंजाब मेल से कर रहा था। अचानक ब्रेक लगने एवं यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के कारण मृतक अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। इस दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। के0जी0एम0यू0. लखनऊ में उसका पोस्टमार्टम किया गया। टिकट की मूलप्रति दावा आवेदन के साथ संलग्न है।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि दावा आवेदन तथ्यों पर एवं कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। आवेदक को यह साबित करना होगा कि पीड़ित ने वैध यात्रा टिकट खरीदी थी। मृतक की मृत्यु उसकी स्वयं की गलती या लापरवाही से हुई है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उन गवाहों की उपस्थिति में तैयार की गई है जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। पूरी कहानी का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। मृतक को चोटें रेलवे ट्रैक का अनधिकृत उपयोग करते समय किसी चलती ट्रेन की चपेट में आने से आयी है। आवेदक रेल अधिनियम, 1989 के तहत किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं है। कथित घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती है। यह न तो दुर्घटना है और न ही कोई अनपेक्षित घटना है जिसके लिए रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 ए के तहत मुआवजे का दावा स्वीकार्य नहीं है। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 27.09.2023 को विरचित किये गयेः—

(1) क्या मृतक प्रश्नगत रेलगाडी का सद्भावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु से सम्बन्धित घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (C) (2) सपठित धारा 124—ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?

(3) मृतक के आश्रित कौन—कौन हैं?

(4) आश्रितगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

5. याचीगण द्वारा प्रियंका देवी को ए0डब्लू0—1 तथा भाषो राउत को ए0डब्लू0 2 के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से टिकट (प्रदर्श A/1), जीआरपी रिपोर्ट (प्रदर्श A/2), आवेदन (प्रदर्श A/3), पंचनामा (प्रदर्श A/4), स्टेशन मेमो (प्रदर्श A/5), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श A/6), आधार कार्ड (प्रदर्श A/7) एवं आश्रित प्रमाणपत्र (प्रदर्श A/8) की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन मे डीआरएम रिपोर्ट की मूलप्रति (सामूहिक प्रदर्श R/1) प्रस्तुत की गयी। विपक्षी रेलवे की ओर से मौखिक साक्ष्य में कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 1 एवं 2

उक्त दोनों वाद बिन्दु एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

9. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि मृतक कारू राउत उर्फ राउत महतो दिनांक 09.08.2019 को वैध द्वितीय एक्सप्रेस टिकट नं0 UAD02667754 के साथ आलमनगर से बख्तियारपुर जं0 तक की यात्रा ट्रेन नं0 13050 डा0 पंजाब मेल से कर रहा था। उक्त ट्रेन ज्यों ही आलमनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं0 1 से खुली तभी यात्रियों की अत्यधिक भीड एवं धक्का–धुक्की के कारण मृतक अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। इस दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। टिकट की मूलप्रति दावा आवेदन के साथ संलग्न है।

10. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया गया कि मृतक न तो प्रश्नगत रेलगाड़ी का सद्‌भावी यात्री था और न ही ऐसी कोई घटना घटित हुयी। याचीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया यात्रा टिकट गलत एवं भ्रामक है।

11. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 (29) में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2(29)–"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

12. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) अनपेक्षित घटना को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है–

(1) यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाडी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई अनपेक्षित घटना (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 4(1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाडी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना।

13. **रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.05.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–**

"mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to hold that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें।

14. स्टेशन मास्टर, उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा थाना प्रभारी GRP/RPF, लखनऊ, चारबाग को जारी स्टेशन मेमो दिनांक 09.08.19 समय 11.55 बजे के अनुसार–

"आलम नगर स्टेशन मास्टर श्री तरुण सक्सेना जी ने सूचित किया कि गाड़ी सं0 13050 DN से P.F. No.1 पर एक व्यक्ति run over हो गया है। सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।"

15. पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा के राय पंचान के अनुसार–

"हम पंचों की राय में मृतक कारू महतो की मृत्यु ट्रेन से गिरने से कटकर हो जाने से हुई है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिये शव का पोस्टमॉर्टम करा लिया जाए।"

पंचायतनामा में एक जनरल टिकट नं0 UAD-02667754, आलमनगर से बख्तियारपुर जं0 तक, बरामद होने का उल्लेख है।

16. पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 10.08.19 के अनुसार– Analysis:-

1.L/W 3 cmx2cmxbone on forehead 3 cm above from root of nose.

2. L/W 4 cm x 3 cmx bone deep on left side ...... head ... above ...left ear.

3. Crushed and L/w ...

4. Traumatic amputation ......

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण– Shock & haemorrhage due to above mentioned antemortem injuries दर्शाया गया है। मृत्यु का संभावित समय लगभग 01 दिन दर्शाया गया है।

17. याचिनी प्रियंका देवी (ए0डब्लू0 1) ने अपने शपथपत्र के पैरा 2 में कथन किया है कि–

"That on the day of incident my Husband/deceased after purchasing the ticket bearing no. UAD02667754 Alamnagar to Bakhtiyarpur and boarded in General Class Coach of Punjab Mail vide no. 13050 Dn from Platform no.1, & Coach was overcrowded and train was started and during this my said husband fall down from the running train on platform no.1, and died on the spot."

18. याचिनी प्रियंका देवी (ए०डब्लू० 1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

- घटना 09.08. की है घटना पांच साल पहले हुई थी।
- मैं केस किया हूं, इसलिए आयी हूं।
- घटना की जानकारी मेरे ससुर ने दिये थे।
- घटना के समय मैं अपने गांव में थी।

  प्रश्न: आपके पति क्या काम करते थे?

  उत्तरः मेरे पति सामान उठाने का काम करते थे ।
- मेरे पति जहां काम करते थे, वहां से अपने गांव आ रहे थे।
- शपथ पत्र में लिखे गये सभी बातें मुझे ससुर जी ने बताये थे वही बात मैं शपथ पत्र में लिखवायी हूं ।
- मैं अपने पति को टिकट कटाते हुए, गाड़ी पर चढ़ते हुए या गाड़ी से गिरते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था।
- प्रस्तुत दावा के अलावा मुआवजा के वास्ते किसी अन्य न्यायाधिकरण में मुकदमा नहीं किया हूं ।
- यह सत्य नहीं है कि मेरे पति किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे थे यह भी सत्य नहीं है कि मेरे पति की मृत्यु रेलवे लाईन पार करने के दौरान ट्रेन के चपेट में आ गये हो।

19. साक्षी भाषो महतो, ए०डब्लू० 2 ने अपने शपथपत्र के पैरा 2 में कथन किया है कि–

"That on the day of incident i.e. 09.08.2019 my son/deceased after purchasing the ticket bearing no. UAD02667754 Alamnagar to Bakhtiyarpur and boarded in General Class Coach of Punjab Mail vide no. 13050 Dn from Platform no.1, & Coach was overcrowded and train was started and during this my said son fall down from the running train on platform no.1, and died on the spot."

20. साक्षी भाषो महतो, ए०डब्लू० 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

" यह मुकदमा मैंने किया है। मृतक कारु महतो मेरा सबसे बड़ा पुत्र था। **जिस समय मेरे पुत्र के साथ दुर्घटना हुई थी उस समय मैं प्लेटफार्म पर था। मैं और मेरा बेटा आलम नगर स्टेशन पर पोलदारी का काम करते थे। मैंने पुलिस को लिखित आवेदन दिया था जिसपर मेरा हस्ताक्षर है। आवेदन को मैंने ही लिखाया था।** मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं। मैंने पुलिस को लिखकर दिया था कि दिनांक 09.08.2019 को मेरा पुत्र कारु महतो उम्र करीब 32 वर्ष समय करीब 11:35 दिन में रेलवे स्टेशन आलमनगर, लखनउ में ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गयी है। मेरा पुत्र विवाहित था जिसको 3 संतान है। पुत्रबधु का नाम अभी याद नहीं है।

प्रश्नः दिनांक 09.08.2019 को आर पी एफ के सामने आपने बताया है कि जमा तलाशी लेने पर मेरे बेटे के पास टिकट नहीं था, बताइये क्या कहना है?

उत्तरः मृतक के पास से टिकट नहीं मिला था, लेकिन वह टिकट लेकर यात्रा कर रहा था।

मैंने अपने पुत्र का मृत शरीर देखा था उसका शरीर सीने के पास से दो टुकड़ा में कट गया था और उसका दाहिना पैर और जांघ भी कटा हुआ था। मेरे पुत्र के साथ यह दुर्घटना 09. 08.2019 को हुई थी। मैंने दावा के लिए मुकदमा घटना के 20 दिन के बाद दाखिल किया है। मैं और मेरा मृतक पुत्र सामान उतारने का काम करते है। मैं सीमेंट उतारने का काम करता हूं। मालगाड़ी का रैक 8 नं. प्लेटफार्म पर लगता

है। हमलोगों का घर 8 नं. प्लेटफार्म साइड में है। स्टेशन के दोनों साइड बाजार है। **जब मेरा मृतक पुत्र टिकट खरीद रहा था तो उस समय मैं बगल में खड़ा था। चारों आदमी का टिकट मेरा बेटा मेरे सामने लिया था चारों टिकट अलग-अलग था। टिकट चचेरा बड़ा भाई को दे दिया था।**

यह कहना गलत है कि मेरा पुत्र रेल से यात्रा न कर रहा हो और मैं मुआवजा के वास्ते यात्रा टिकट कहीं से प्रबंध कर दावा आवेदन में दाखिल किया है। यह कहना गलत है कि मेरा बेटा की मृत्यु 13050 डा. से धक्का लगा हो उसी में उसकी मौत हुआ हो।"

साक्षी ए0डब्लू0 1, प्रियका देवी औपचारिक साक्षी है। साक्षी ए0डब्लू0 2, भाषो महतो मृतक द्वारा टिकट खरीदने, ट्रेन पर चढ़ने एवं ट्रेन से गिरने का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इसके अतिरिक्त साक्षी ए0डब्लू0 2 भाषो महतो से प्रतिपरीक्षण के दौरान विस्तृत पूछताछ की गई है, परन्तु उसके साक्ष्य से ऐसा कोई विपरीत तथ्य निकलकर नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक घटना के समय सदभावी यात्री नहीं हो अथवा ट्रेन से गिरकर अनपेक्षित घटना में उसकी मृत्यु नहीं हुई हो।

21. उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत वैधानिक डीआरएम रिपोर्ट के अनुसार–

"जाँच के अनुसार दिनांक 09.08.2019 को समय 11/40 बजे आलमनगर स्टेशन KM No. 1078/36 पर मृतक की चलती गाड़ी में चढ़ने के प्रयास में गिरकर ट्रेन से कटने से मृत्यु हो गयी थी।

मृतक के पास टिकट की उपलब्धता– टिकट नं0 UAD2667754#. Ex AMG to BKP मृतक चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा था जिस कारण गिरने से उसकी मृत्यु हो गयी, इस घटना के लिये वह स्वयं जिम्मेदार है।"

#ऐसा प्रतीत होता है कि डीआरएम रिपोर्ट में टिकट नं0 "UAD02667754" की जगह पर भूलवश टिकट नं0 "UAD2667754" लिखा गया गया है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता ने मृतक को गाडी से यात्रा करना स्वीकार किया है। उत्तरदाता द्वारा टिकट मिलने के कथन को स्वीकार किया गया है। टिकट के संबंध में उत्तरदाता द्वारा कोई खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार डी आर एम रिपोर्ट में मृतक का एक सदभावी यात्री होने के तथ्य का समर्थन होता है।

22. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि मृतक ने जानबूझकर कोई जोखिम भरा कार्य किया हो। स्वजनित चोटों *(self inflicted injury)* के आधार पर पीड़ित को लापरवाही के कारण प्रतिकर की राशि से वंचित नहीं किया जा सकता है। रेल दावा अधिकरण, 1989 एक लाभकारी कानून है एवं इसका एक मुख्य उद्देश्य घायल अथवा मृतक के आश्रित को क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करना है। इस मामले में कठोर व्याख्या *(Strict interpretation)* नहीं किया जा सकता है।

23. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक अवलोकन के उपरान्त यह साबित होता है कि मृतक प्रश्नगत ट्रेन का सद्भावी यात्री था एवं उसकी मृत्यु रेल यात्रा के दौरान प्रश्नगत ट्रेन से गिर जाने के कारण आयी चोटों से हुई है, जो कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा–123 (सी)(2) सपठित धारा 124–ए के अर्न्तगत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 एवं 2 तद्नुसार सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या 03

24. विचारणीय बिन्दु यह है कि मृतक का आश्रित कौन है? मृतक की पत्नी, याचिनी प्रियंका देवी (ए.डब्लू0 1) के शपथपत्र के अनुसार, प्रियंका देवी (मृतक की पत्नी), विकास कुमार

(मृतक का अवयस्क पुत्र), अंकित कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र), सुहानी कुमारी (मृतक की अवयस्क पुत्री), भाषो राउत (मृतक का पिता) एवं मृतक की माता, ही मृतक के आश्रित की श्रेणी में आते हैं। ग्राम पंचायत राज बेलाव (शेखपुरा) द्वारा जारी पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ, राशन कार्ड की प्रति मूल आवेदन के साथ संलग्न की गयी है जिसमें मृतक की माता का नाम "भरनी देवी" अंकित है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचीगण का कथन पूर्णतः सिद्ध है। अतः प्रियंका देवी (मृतक की पत्नी), विकास कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र), अंकित कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र), सुहानी कुमारी (मृतक की अवयस्क पुत्री), भाषो राउत (मृतक का पिता) एवं भरनी देवी (मृतक की माता), ही रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के प्रकाश में मृतक के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः यह वाद बिन्दु भी तदनुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

<u>वाद बिन्दु संख्या 04</u>

25. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली, 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दिनांक 17.05.2023 से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

26. याचीगण की याचिका स्वीकार की जाती है। आवेदकगण का आवेदन पत्र क्षतिपूर्ति राशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, दिनांक 17.05.2023 से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है। प्रतिवादी रेलवे प्रतिकर धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगे:–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पक्षकार के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	प्रियंका देवी	पत्नी	35	₹4,00,000	₹70,000	₹3,30,000
2.	विकाश कुमार	अवयस्क पुत्र	17	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*
3.	अंकित कुमार	अवयस्क पुत्र	13	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*
4.	सोहानी कुमारी	अवयस्क पुत्री	10	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*
5.	भाषो राउत	पिता	58	₹50,000	₹5,000	₹45,000
6.	भरनी देवी (राशन कार्ड के अनुसार) मारो देवी (आधार कार्ड के अनुसार)	माता	52(राशन कार्ड के अनुसार) 63(आधार कार्ड के अनुसार)	₹50,000	₹5,000	₹45,000

नोटः— * विकाश कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र), अंकित कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र) एवं सोहानी कुमारी (मृतक की अवयस्क पुत्री) के हिस्से की पूरी राशि उनके वयस्क होने तक या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, सावधि जमा में रखा जाएगा। विकाश कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र), अंकित कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र) एवं सोहानी कुमारी (मृतक की अवयस्क पुत्री) का अंश उनकी माता प्रियंका देवी के संरक्षण में खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में, उनके स्थायी निवास स्थान के निकटतम, उनके वयस्क होने या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में आये, की अवधि के लिए जमा किया जाएगा। उनकी माता प्रियंका देवी अपने अवयस्क पुत्र/पुत्री के भरण–पोषण/रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त करने की हकदार होंगी। संचित ब्याज, यदि कोई हो, मूल राशि के साथ परिपक्वता की तारीख को बिना किसी निर्देश के उपयोग के लिए भुगतान किया जाएगा।

(a) प्रतिवादी रेलवे को निर्देशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, दिनांक 17.05.2023 से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से कुल ₹80,000/– (अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते मे भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत

निवेशित की जायेगी। मूल. नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुडे अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध करायें। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचीगण के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

27. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय। उभयपक्ष को निर्णय की प्रति स्पीड पोस्ट से भेजी जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाय।

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 06.10..2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 06.10.2025

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 06.10.2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 06.10.2025